42

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 58 / 2022

दायर दिनांक–12.04.2022

1. बचनाराम पुत्र तेजाराम
2. भूणाराम पुत्र तेजाराम
3. बीरबल पुत्र तेजाराम
4. द्वारका प्रसाद पुत्र श्योलाराम
5. सांवरमल पुत्र श्योलाराम
6. मोहनराम पुत्र श्योलाराम
7. महाबीर पुत्र औंकारमल
8. बनवारी पुत्र औंकारमल समस्त जाति गुर्जर निवासी टौंक ढाका की ढाणी, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. अश्विनी पुत्र लोकनाथ
2. अशोक कुमार पुत्र माधोप्रसाद
3. कृष्ण कुमार पुत्र माधोप्रसाद
4. कृष्ण कुमार पुत्र बंशीधर
5. गिरिस कुमार पुत्र नंदलाल
6. गोपाल पुत्र मोहनलाल
7. गोविन्द पुत्र सागरमल
8. घनश्याम पुत्र द्वारका प्रसाद
9. चंद्रकांत पुत्र बंशीधर
10. जगदीश प्रसाद पुत्र नंदलाल
11. पुर्णेन्द्र पुत्र बंशीधर
12. प्रभाकर पुत्र सागरमल
13. प्रभात कुमार पुत्र जोधराज
14. प्रवीण पुत्र द्वारका प्रसाद
15. बसंत पुत्र मोहनलाल
16. मधुसुदन पुत्र ईश्वरराम (फौत)
   16/1 सुशिल कुमार पुत्र स्व0 मधुसुदन
17. मनेन्द्र पुत्र मदनलाल
18. मोतीलाल पुत्र नन्दलाल
19. योगेश पुत्र जोधराज
20. योगेश पुत्र झाबरमल
21. रमाकांत पुत्र झाबरमल
22. वीणा पुत्री झाबरमल
23. श्रीकांत पुत्र झाबरमल
24. सज्जन पुत्र श्यामसुन्दर
25. संजीव कुमार पुत्र भगवती प्रसाद
26. संजीव कुमार पुत्र शिवप्रसाद
27. सत्यव्रत पुत्र मोहनलाल
28. सुधाकर पुत्र सागरमल
29. संदीप पुत्र शिवप्रसाद
30. हेमन्त पुत्र बंशीधर
31. हरिप्रसाद पुत्र जोधराज समस्त जाति महाजन निवासीगण शिवनगर टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

U3

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रतिवादी :— एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक—19.02.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 2.03, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0600 है0 उक्त भूमि पर वादीगणों के पूर्वजों के फौत होने पर वर्तमान में वादीगणों का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादीगणों ने पक्के मकानात व सिंचाई के लिए चाह बना रखा है तथा विधुत कनेक्शन अपने नाम ले रखा है। वादीगण 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा वादीगण 4 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा व वादीगण 7 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा और इसी हिस्से अनुसार उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को लाटते व बांटते आ रहे है व प्रतिवादीगण 1 लगायत 31 का कृषि भूमि पर ना तो कभी कब्जा रहा है और ना ही कभी काश्त रही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है जो गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। जिनका नाम हजफ किया जाकर उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपर वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद—पत्र पेश होने बाद अवलोंकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु बनवारी, द्वारका प्रसाद, बीरबल, सांवरमल, मोहनराम, भूणाराम, बचनाराम तथा महावीर के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद—पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075—78, नकल मिलान क्षैत्रफल, विधुत कनेक्शन बिल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद—पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श—2 ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार वाके राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 71 रकबा 2.03 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श—1 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै अमरचंद कौम महाजन निवासी भोजनगर जिला झुंझुनू निवासी हुं मै मेरी खातेदारी की जमीन तेजा पुत्र मंगला, औंकार व श्योला कौम गुर्जर को बेचान कर दी है जिसके 16000/— रूपये प्राप्त कर लिये है तथा इस जमीन में मेरा कोई हक अधिकार नही है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में विक्रेता अमरचंद महाजन तथा क्रेता तेजा, औंकार व श्योला के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। गवाह श्री बनवारी, द्वारका प्रसाद, बीरबल, सांवरमल, मोहनराम, भूणाराम, बचनाराम तथा [illegible] अपने सपथ पत्रों में कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा [illegible] को वादीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय किया गया था तथा क्रय किये गये रोज [illegible] वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी क्रय के रोज से वादीगण व उनके पूर्वजों का [illegible] भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही [illegible] की का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

...लय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री
किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर
68 रकबा 2.03, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0600 है0 भूमि के संबंध में
वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3, वादीगण 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3, वादीगण 7 लगायत 8 को
हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से दर्ज
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 31 का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 31 को स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक
शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा
पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर
से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– **58 / 2022**

(बचनाराम बनाम अश्विनी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 2.03, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0600 है0 भूमि के संबंध में वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा 1/3, वादीगण 4 लगायत 6 को हिस्सा 1/3, वादीगण 7 लगायत 8 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 31 का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण 01 लगायत 31 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.02.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:23:06 IST
Reason: SelfAttested